126

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

कड़ोरी तनय भगोला सौंर , नि॰ - 3506 - I/16

निबासी ग्राम तखा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़

..............आवेदक

वनाम

1– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़,

2– श्रीमति किरण पत्नी श्री सुरेश पाठक

निबासी – सिविल न्यायालय के पास टीकमगढ़ म0प्र0,

.... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता:–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी, न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 18/अ–21/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 22/08/1994 से परिवेदित होकर कर रहा हैं।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि आवेदक के पिता भगोला तनय सरू सौंर के नाम पर ग्राम तखा में खसरा नंबर 234/08 में रकवा 2.428 हैक्टेयर भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। इस भूमि के अलावा आवेदकगण के पिता के नाम से कोई भूमि नहीं थी। आवेदकगण अनुसूचित जनजाति के हैं। आवेदकगण के पिता बिना पड़े लिखे थे। मात्र अंगूठा लगाना जानते थे, कुछ लोगों के कहने पर उनके द्वारा अंगूठा निशानी लगा दी, जिसके आधार पर उनके नाम से एक आवेदनपत्र वाद भूमि के बिकय पत्र बावद कलेक्टर महोदय के यहां प्रस्तुत करवा कर वाद भूमि के बिकय करने का उपरोक्त आदेश पारित करवा लिया। जिसकी जानकारी आवेदक को कभी नहीं रही। आवेदक बर्तमान में वादभूमि पर काबिज है। जिसके आधार पर किरण नामक महिला द्वारा आवेदक के पिता से बदयांति पूर्वक विधि विरुद्ध तरीके से

राजेन्द्र दटौरया (एड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि0- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3506–एक/16 जिला–टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
9-2-17	आवेदक की ओर से अधिवक्तागण श्री राजेन्द्र पटैरिया एवं श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित तथा अनावेदक 1 शासन के पैनल अधिवक्ता उपस्थित, तथा अनावेदक कमांक 2 एक पक्षीय है। आवेदकगण के अधिवक्तागण द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण कमांक 18/अ–21/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 22.8.1994 से परिवेदित होकर प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक की ओर से निगरानी के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र भी मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया गया है आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये । प्रकरण में विधि का प्रश्न निहित होने तथा बिलंब का समाधानप्रद एवं पर्याप्त कारण होने के बिलंब माफ करके निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है। आवेदक की ओर से निगरानी के साथ आलोच्य आदेश से संबंधित संपूर्ण प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि की गई है। जिस कारण निगरानी का निराकरण गुणदोषों के आधार पर किया जा रहा है। 3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बबाया है कि आवेदक के पिता भगोला तनय सरू सौंर के नाम पर ग्राम तखा में खसरा नंबर 234/08 में रकवा 2.428 हैक्टेयर भूमि भूमिस्वामी हक	

में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। इस भूमि के अलावा आवेदक के पिता के नाम से कोई भूमि नहीं थी। आवेदक अनुसूचित जनजाति का हैं आवेदक के पिता सीधे साधे बिना पढे लिखे थे, मात्र अंगूठा लगाना जानते थे। कुछ लोगों के कहने पर उनके द्वारा अगूंठा निशानी लगा दी जिसके आधार पर उनके नाम से एक आवेदन पत्र वाद भूमि के विक्रय पत्र बावत कलेक्टर के यहां प्रस्तुत करवाकर उपरोक्त वाद भूमि के विक्रय करने का प्रश्नाधीन आदेश पारित करा लिया। आवेदक के पिता को कोई बीमारी नहीं थी। वह पूर्ण रूप से स्वस्थ्य थे, उनके कूट रचित मेडीकल पर्चा प्रस्तुत किये गये हैं । मेडीकल बोर्ड से परीक्षण नहीं कराया गया । सहायक सर्जन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जो गलत तरीके से बनाया गया है जो मान्य करने योग्य नहीं था जिसकी जानकारी आवेदक को कभी नहीं रही। आवेदक वर्तमान में वाद भूमि पर काबिज है। पटवारी द्वारा आवेदक को विक्रय एवं आदेश की जानकारी प्रदान करने पर उसके द्वारा प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करके इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं दस्तावेजों के आधार पर मैंने अवलोकन किया जिसके अनुसार भगोला सौर के नाम से एक आवेदनपत्र कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण तहसीलदार टीकमगढ को जांच बावत भेजा गया । आवेदन पत्र में यह लेख किया गया कि भगोला को बीमारी के इलाज बावत रूपयों की आवश्यकता होने के कारण भूमि विक्रय की आवश्यकता है, उपरोक्त आवेदन पत्र तहसीलदार को प्रतिवेदन

बावत भेजने पर तहसीलदार द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण न कर पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त करके उसके आधार पर अपना प्रतिवेदन तैयार करके, प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी पूर्व निर्देश दिनांक 25.2.1993 का पालन किया गया या नहीं, यह सुनिश्चित किये बगैर ही प्रकरण कलेक्टर के समक्ष प्रेषित कर दिया। कलेक्टर द्वारा आवेदक के कथन अंकित किये बगैर ही वाद भूमि विकय करने की अनुमति प्रदान कर दी । संहिता की धारा 465 एवं उसकी उप धाराराओं में दिये गये प्रावधानों का पालन किये बगैर अलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही करने से पूर्व न तो इश्तहार जारी किया गया, न ही दावा आत्तियां आमत्रित की गई हैं । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मनमाना आदेश है, जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

4— संपूर्ण प्रकरण एवं आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा ना तो आवेदन पत्र में दर्शाये कारणों के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत कराया गया ना ही कथन लेख बद्व कराये गये, ना ही भूमि की गुणवत्ता के संबंध में कोई पंचनामा ही बनाया गया । संपूर्ण कार्यवाही मात्र पटवारी के प्रतिवेदन पर आधारित है। जिससे से यह प्रबल संभावना है कि पटवारी द्वारा केता के प्राभव में आकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हो। उपरोक्त तथ्य से आवेदकगण की इस बात को बल मिलता है कि, भगोला को अंधेरे में रख कर उसकी जानकारी एवं सहमति के बगैर अगूंठा लगवाकर अनुमति प्राप्त की गई हो। वादग्रस्त भूमि

टीकमगढ शहर जो जिला मुख्यालय है, उससे पांच किलो मीटर की परधि के अंदर आती है जिससे यह प्रबल संभावना है कि आवेदक के पिता को बहला फुसलाकर भूमि का अंतरण कराया गया हो। क्यों कि यह संभव नहीं है कि भगोला द्वारा भूमि विकय की हो और अपने परिवार में पत्नि और बच्चों को जानकारी प्रदान न की हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही विधि एवं प्रकिया के विरूद्व है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, कलेक्टर टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.8.1994 विधि एवं प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर उसके आधार पर किया गया अंतरण शून्यवत घोषित किया जाता है। संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की वादभूमि का कब्जा शासन के पक्ष में लेकर पूर्ववत आवेदक भगोला के फौत होने की दशा में उसके विधिक वारिसानों को प्रदान किया जावे, तथा वादभूमि भगोला के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज करके उसके सभी विधिक वारिसानों के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। संबंधित केता/अनावेदक यदि चाहे तो माननीय व्यवहार न्यायालय में प्रथक से वाद प्रस्तुत करके आवेदकगण से विकयपत्र की राशि वापिस प्राप्त करने की कार्यवाही विधि अनुसार करने बावत स्वतंत्र है। संबंधित तहसीलदार आदेश का पालन करें। पक्षकार सूचित हों ।

सदस्य